न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी: संजीव मागो, RJS (DJ Cadre)

सेशन प्रकरण संख्याः 53/21

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अभियोगी

-: वि रू द्ध :-

धर्मेन्द्र, पुत्र श्री रामबाबू, उम्र करीब 33 साल, निवासी सूबेपुरा, पुलिस थाना सदर, धौलपुर जिला-धौलपुर।

-अभियुक्त

'अपराध अंतर्गत धारा 379, 353, 307, भारतीय दण्ड संहिता व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 41, 42 वन अधिनियम व 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 260/2019 पुलिस थाना राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर (राज.)'

उपस्थिति:-

1- श्री भगवान सिंह नारोलिया, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री गिरीश गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

-: निर्णय :- दिनांक: 13/04/26

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379, 353, 307, भारतीय दण्ड संहिता व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 41, 42 वन अधिनियम व 3 पीडीपीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण इस न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण उक्त न्यायालय से प्रकरण विचारणार्थ इस न्यायालय को उपार्पित किया। तत्पश्चात् इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी हैड कांनि. इकबाल हुसैन द्वारा थाना राजाखेड़ा, पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि वह दिनांक 25/12/19 को जाब्ते के साथ गश्त हेतु रवाना हुआ, दौराने गश्त सुबह 4:10 ए एम पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक नंबर आर.जे.11 जी ए 7057 जिला मुरैना से सागरपाड़ा, सदर, मनियां, दिहौली, आदि की नाकाबंदी तोड़ता हुआ आ रहा है जिसमें अवैध चम्बल रेता भरा है, जिसे रूकवाने का प्रयास

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
15.04.2026 08:12
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

करें जिस पर वह उक्त ट्रक का पीछा कर रही टीम के संपर्क में रहा व समय 5:00 ए एम पर एक ट्रक आता दिखायी दिया जिसे बेरीकेट्स व हमराही जाब्ता की मदद से रोकना चाहा तो ट्रक चालक द्वारा पुलिस जाब्ता के ऊपर जान-बूझकर जान से मारने की नीयत से ट्रक से टक्कर मारनी चाही जिस पर जाब्ता व-मुश्किल बचा व ट्रक चालक द्वारा नाकाबंदी हेतु रखे गये बेरीकेट्स को तोड़ते हुए ट्रक को चौकी टाउन की दीवार तोड़कर चौकी के अंदर घुसाकर चौकी की दीवार व टीन को क्षतिग्रस्त कर दिया व ट्रक से कूदकर भाग गया व उक्त ट्रक द्वारा चौकी के पास ही शमशाबाद की ओर से आ रही टाटा नंबर यू पी 81 एए 9938 को भी टक्कर मारी जो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी अन्य जाब्ता भी उपस्थित आ गया व ट्रक को चैक करने पर उसमें प्रतिबन्धित चम्बल रेता भरा था, जिसके संबंध में कोई कागजात नहीं थे जिस पर मौके की कार्यवाही की गयी...आदि जिस पर आरक्षी केन्द्र राजाखेड़ा, धौलपुर की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 260/19 दर्ज कर बाद अनुसंधान उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379, 353, 307, भारतीय दण्ड संहिता व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 41, 42 वन अधिनियम व 3 पीडीपीपी एक्ट के अपराध के अन्तर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उक्तानुसार इस न्यायालय को उपार्पित किया गया।

3. बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379, 353, 307, भारतीय दण्ड संहिता व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 41, 42 वन अधिनियम व 3 पीडीपीपी एक्ट के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपित अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों के विचारण के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षीगण पी.डब्ल्यू.-1 मनोज कुमार, पी.डब्ल्यू. 2 इकबाल, पी.डब्लयू. 3 करतार सिंह, पी.डब्लयू. 4 महेश कुमार, पी.डब्लयू. 5 बलवीर सिंह, पी.डब्लयू. 6 महेश कुमार पुत्र धान सिंह, पी.डब्लयू. 7 प्रमोद, पी.डब्लयू. 8 कप्तान सिंह, पी.डब्ल्यू. 9 सत्यवीर सिंह, पी.डब्लयू. 10 मनोज कुमार, पी.डब्लयू. 11 शांति किशोर, पी.डब्लयू. 12 रामभरोसी, पी.डब्ल्यू. 13 लोचन सिंह, पी.डब्लयू. 14 राजाराम के कथन लेखबद्ध करवाये गये।

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
15.04.2026 08:12
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नानुसार वर्णित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया जाकर अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त पूर्ण की गई:-

अभियोजन प्रदर्श	प्रदर्श का विवरण
पी-1	नक्शा मौका
पी-2	फर्द जब्ती ट्रक
पी-3	तहरीरी रिपोर्ट
पी-4	चाक एफ आई आर
पी. 5	नोटिस धारा 133 एम वी एक्ट
पी. 6	फर्द गिरफ्तारी मुल. धर्मेन्द्र
पी. 7	तस्दीक नक्शा मौका
पी. 8	ट्रक में भरे रेता परीक्षण रिपोर्ट
पी. 9 ए	मालखाना प्रमाणित प्रति
पी. 10	मुख्त्यारनामा कप्तान सिंह
पी. 11 से 27	घटनास्थल के फोटो
पी. 28 से 31	पदस्थापन संबंधी कागजात
पी. 32	फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम
पी. 33	आपराधिक रिकॉर्ड

6. अभियुक्त के प्रतिकथन अंतर्गत धारा 351 भा.ना.सु.सं. लेखबद्ध किए गए जिसमें अभियुक्त द्वारा गवाहान का गलत कहा जाना व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

7. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी।

8. इस प्रकरण के निस्तारणार्थ विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है:-

9. ''क्या अभियुक्त ने ट्रक नंबर आरजे. 11 जी ए 7057 में दिनांक 25/12/19 से पूर्व किसी समय चम्बल नदी घडियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से चंबल रेता को हटाकर ट्रक में ले जाकर चोरी की व वन्य जीव घडियाल के प्राकृतिक आवास को क्षति या नाश कारित किया व वन उपज को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ले जाया गया, एवं पुलिसकर्मी इकबाल हुसैन व अन्य द्वारा उक्त ट्रक रूकवाने पर ट्रक को न रोककर उनके लोक कर्त्तव्य से भयोपरत करने के आशय से उन पर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर ट्रक चढाने का प्रयास किया एवं टाउन चौकी राजाखेड़ा की दीवार तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान किया?

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
15.04.2026 08:12
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

10. विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान निवेदन है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश कराये गये गवाहान व दस्तावेजीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित हैं अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

11. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि प्रकरण में गवाहान के कथनों में विरोधाभास है, अभियोजन के किसी भी गवाह की साक्ष्य से वक्त घटना अभियुक्त द्वारा ट्रक चलाने के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं आये हैं, अभियुक्त को अपराध से जोड़ने बावत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

12. उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

13. प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत ट्रक में अवैध चम्बल रेता भरकर चोरी कर ले जाते हुए लोक सेवकों को भयोपरत कर उन पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर ट्रक चढाने का प्रयास किया व वन्य जीव घडियाल के प्राकृतिक आवास को क्षति कारित की व वन उपज की चोरी की एवं राजकीय संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर नुकसान कारित किया ?

14. इस संबंध में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि उक्त प्रश्नगत ट्रक को अभियुक्त द्वारा ही वक्त घटना चलाकर ले जाया जा रहा था?

15. इस संबंध में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य आयी है उसमें पी.डब्ल्यू. 2 इकबाल जो कि परिवादी है ने अपनी साक्ष्य में मौके पर घटना दिनांक उक्त प्रश्नगत ट्रक द्वारा घटना कारित किया जाना बताते हुए कथन किया है कि ट्रक चौकी की दीवार को तोड़ता हुआ चौकी में घुसकर बन्द हो गया उसका चालक कूदकर भाग गया, जिसका हमने पीछा किया, किन्तु अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग गया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य में मौके पर अभियुक्त को ट्रक चलाते देखने के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं आये हैं।

16. अन्य गवाहान में पी.डब्लयू. 1 मनोज कुमार जो कि जाब्ते का सदस्य है व मौके का गवाह है उसने भी अपनी साक्ष्य में चालक का पीछा करना व घना कोहरा होने के कारण चालक का भाग जाना बयान किया है व इस गवाह की जिरह में यह तथ्य आया है कि कोहरे में दिखायी नहीं देने के कारण उसे नहीं पकड़

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
15.04.2026 08:12
Stenographer Gr.-I
"Authenticated Document"

सका। इसी प्रकार पी.डब्लयू. 3 करतार सिंह भी जाब्ता का सदस्य है जिसकी साक्ष्य में भी मुख्य परीक्षण में चालक का घने कोहरे व रात का फायदा उठाकर वहां से भाग जाने का तथ्य आया है व पी.डब्लयू. 4 महेश कुमार जो भी मौके का गवाह है, उसकी साक्ष्य में भी ट्रक चालक द्वारा ट्रक को चलता छोड़कर ट्रक से कूदकर भाग जाना व कांनि. महेश व मनोज द्वारा उसका पीछा करना किन्तु कोहरा व घनी आबादी का फायदा उठाकर कस्बे से ओझल हो जाने का तथ्य आया है व इसी प्रकार पी.डब्ल्यू. 5 बलवीर सिंह की साक्ष्य में भी ट्रक चालक का मौके से कोहरे का फायदा उठाकर भाग जाना जिसका मनोज व महेश कांनि. द्वारा पीछा करने पर भी पकड़ में नहीं आने का तथ्य आया है व पी.डब्ल्यू. 6 महेश कुमार पुत्र श्री धानसिंह की साक्ष्य में भी ट्रक के चालक का अंधेरे और कोहने का फायदा उठाकर भाग जाना व पीछा करने पर पकड़ में नहीं आने का तथ्य आया है।

17. अभियोजन की ओर से जो अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 7 प्रमोद पेश किया गया है उक्त गवाह की गाड़ी को प्रश्नगत ट्रक द्वारा टक्कर मारना बताया गया है किन्तु उक्त गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान प्रश्नगत ट्रक का नंबर अपने हाथ पर लिखकर लाने का तथ्य साक्ष्य के दौरान प्रकट हुआ है व इस गवाह की साक्ष्य में भी यही तथ्य आया है कि ट्रक को कौन चला रहा था, उसे नहीं पता।

18. अभियुक्त द्वारा ही वक्त घटना ट्रक चलाये जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से उक्त प्रश्नगत ट्रक के मालिक कप्तान सिंह को पी.डब्ल्यू. 8 के रूप में परीक्षित कराया गया है किन्तु वह पक्षद्रोही रहा है व इस गवाह की साक्ष्य में पुलिस को नोटिस 133 एम वी एक्ट का जबाव दिये जाने से इंकारी के तथ्य आये हैं व वक्त घटना प्रश्नगत ट्रक पर चालक कौन था, उसकी जानकारी में नहीं होने के तथ्य आये हैं।

19. अन्य गवाहान में पी.डब्लयू. 9 फर्द गिरफ्तारी प्र.पी.6 व नक्शा मौका तस्दीक प्र.पी. 7 का, पी.डब्लयू. 10 मनोज कुमार फर्द गिरफ्तारी का, पी.डब्ल्यू. 11 शान्ति किशोर नक्शा बरामदगी स्थल का, पी.डब्ल्यू. 12 रामभरोसी रेत परीक्षण करने का, पी.डब्ल्यू. 13 लोचन सिंह मालखाने के औपचारिक गवाह हैं व पी.डब्ल्यू. 14 राजाराम प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जो अनुसंधान संबंधित तथ्यों के संबंध में औपचारिक साक्ष्य देता है।

20. इस प्रकार जो मौके के गवाहान परीक्षित हुए हैं उन सभी की साक्ष्य में मौके से ट्रक चालक का कूदकर भाग जाना व पकड़ में नहीं आना एवं मौके पर

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
15.04.2026 08:12
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

कोहरा व अंधेरा होने के तथ्य सामने आये हैं व किसी भी गवाह की साक्ष्य में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं आया है कि उसके द्वारा अभियुक्त को मौके पर घटना कारित करते देखा हो न ही इन गवाहान की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य आया है कि उनके द्वारा किस प्रकार अभियुक्त को पहचाना गया।

21. इसी प्रकार जिस वाहन में प्रश्नगत ट्रक द्वारा टक्कर मारी गयी उक्त वाहन के चालक की साक्ष्य में भी मौके पर ट्रक का चालक कौन था, पता नहीं होने व ट्रक मालिक द्वारा भी वक्त घटना ट्रक पर चालक का पता नहीं होने के तथ्य आये हैं। इस प्रकार इन गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा ही प्रश्नगत ट्रक चलाया जा रहा हो यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

22. इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है उसमें मौके के किसी भी गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा वक्त घटना ट्रक चलाये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः वक्त घटना अभियुक्त द्वारा ही ट्रक पर चालक था, यह तथ्य अभियोजन की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है।

23. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त द्वारा ही मौके पर ट्रक में अवैध चम्बल रेता की चोरी करके ले जाकर वन उपज की चोरी की गयी व वन्य जीव घडियाल के प्राकृतिक आवास को क्षति कारित की गयी पुलिसकर्मियों को उनके कर्त्तव्य निर्वहन से भयोपरत कर उन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया व उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर ट्रक चढाने का प्रयास किया गया?

24. चूंकि अभियोजन पक्ष यह तथ्य सिद्ध करने में असफल रहा है कि मौके पर वक्त घटना अभियुक्त द्वारा ही प्रश्नगत ट्रक को चलाया जा रहा था अतः जब यही तथ्य साबित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा उक्त ट्रक से अन्य कोई अपराध किया जाना भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

25. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379, 353, 307, भारतीय दण्ड संहिता व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 41, 42 वन अधिनियम व 3 पीडीपीपी एक्ट के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त को उक्त आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
15.04.2026 08:12
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

-: आदेश :-

26. परिणामस्वरूप अभियुक्त धर्मेन्द्र, पुत्र श्री रामबाबू, उम्र करीब 33 साल, निवासी सूबेपुरा, पुलिस थाना सदर, धौलपुर जिला-धौलपुर को धारा **379, 353, 307,** भारतीय दण्ड संहिता व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 41, 42 वन अधिनियम व 3 पीडीपीपी एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बावत् पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुदर्गीदार के पास है जो उसी के पास रहे व उसके संबंध में सुपुदर्गीनामा/जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)

27. यह निर्णय/आदेश आज दिनांक 13/04/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
15.04.2026 08:12
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"